तारीख हुक्म	
2/11/22	वकील उभयपक्ष उप० है। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रस्तुत करना नहीं चाहते है अतः अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद किया जाता है। वास्ते बहस पत्रा० दि० 16/11/22 को पेश हो।
16-11-22	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते बहस पत्रा० दि० 23-11-22 को पेश हो।
23-11-2022	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी~~/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर है/अवकाश पर हैं/अन्य~~ C.M. विजिट कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-11-2022 को पेश हो। रीडर
28-11-22	वकील उभयपक्ष उप० है। वास्ते बहस पत्रा० दि० 12-12-22 को पेश हो।
12-12-2022	वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 23-12-2022 को पेश हो।
23-12-2022	वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 26-12-2022 को पेश हो।
26/12/22	वकील उभयपक्ष [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] के कारण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स.मा.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
36 / 2022	5.7.2022	26.12.2022

1. कुर्रू उर्फ राजेश पुत्र जगमोहन, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
2. गणेश पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
3. दयासलो पत्नी जगमोहन, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
4. धर्मी पुत्र जगमोहन, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
5. सीमा पुत्री जगमोहन, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी

—प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र रामजीलाल, मीना निवासी बिनेगा तह0 गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी / वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 व 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :— श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट , प्रार्थीगण की ओर से

श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाजदायरी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 प्रार्थीगण कुर्रू उर्फ राजेश वगैरा की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी / वादी बृजमोहन ने प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दावा उनवानी बृजमोहन बनाम कुर्रु वगै वाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया था। जिसमे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की अराजी ख. नं. 763 रकवा 0.23 हैक्टर, खं0 नं. 729 रकवा 0.46 हेक्टर , खं. नं. 741 रकवा 0.11 हेक्टर, खं0 नं. 910 रकवा 0.21 हेक्टर , खं0 नं. 729 / 963 रकवा 0.01 हैक्टर गै.मु.चा. कुल किता 5 कुल रकवा 1.02 हैक्टर स्थित ग्राम बिनेगा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मौखिक बटवारे अनुसार कब्जा काश्त करते चले आ रहे है एवं ख. नं. 763 रकवा 0.23 हेक्टर बंजड पड़ा हुआ है जिसमें दरख्त पेड़ उग रहे है उक्त नम्बर पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद की बजह से मौखिक बटवारा नहीं कर रखा है औरे बंजड छोड रखा है शेष रकवा पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने मौके पर 1 / 3 – 1 / 3 मौखिक बटवारा कर रखा है। माननीय न्यायालय ने निर्णय व डिक्री के मुताबिक बिना प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को सुने राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन स्कीम के मुताबिक अप्रार्थी / वादी के नाम खातेदार लगाये जाने के नाम विधिविरूद्ध होने से डिक्री व निर्णय निरस्त होने योग्य है। माननीय न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27–9–2021 में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस सुनी गई और निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

15/2/2022 के पेज नं. 3 में तीन लाईन छोड़कर चौथी लाइन पर दिनांक 27/9/2021 को वादी व प्रतिवादी के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन स्कीम बनवाने का निवेदन किया। दोनो तथ्य उक्त दिनांक से मेल नही खाते है ऐसी सूरत मे निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। दिनांक 27/6/2022 को प्रार्थीगण अपने हिस्से मुताबिक भूमि बरसात होने के बाद जोत लगाने व बीज बोने के लिए गये तो अप्रार्थी ने जोत लगाने से मना कर दिया कि अब तुम्हारा उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। मैने न्यायालय से दावा डिक्री करवा लिया है तब प्रार्थीगण उसी दिवस को अपने अधिवक्ता से आकर मिले तो अधिवक्ता ने बताया कि आप तारीखों पर नही आये इसलिए मैने आपका दावा आपके बिना सूचना दिये ही पैरवी करने से छोड़ दिया तब प्रार्थीगण ने स्वंय ही अदालत में जाकर उक्त प्रकरण की जानकारी करके दिनांक 27/6/2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। जिनकी नकल प्रार्थीगण को दिनांक 28/6/2022 को नकल मिलने से सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी हुई । दिनांक 28/6/2022 को नकल निर्णय, डिक्री व सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन करने पर दिनांक 17/12/2021 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने पैरवी को हिदायत नहीं होना बताया वकील वादी को सुना गया दावावादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 10/1/2022 को पेश है जबकि उक्त दिवस को माननीय न्यायालय में अप्रार्थी अधिवक्ता को पैरवी हिदायत नही होने की सूचना पर न्यायालय को पुनः प्रार्थीगण को सूचित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है इसी बिना पर निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन स्कीम तैयार करने हेतू हल्का पटवारी को जारी किये गये आदेश के मुताबिक दिनांक 13/1/2022 को अप्राथी हल्का पटवारी से मिली भगत करके बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये ही घर बैठकर मनमाने तरीके से विभाजन स्कीम पर मात्र हल्का पटवारी एवं अप्रार्थी बृजमोहन के हस्ताक्षर है जिससे साफ जाहिर होता है कि हल्का पटवारी द्वारा पेश कि गयी विभाजन स्कीम प्रार्थीगण/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में बनाई गयी है उक्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीगण व अप्राथी का उक्त विभाजन स्कीम के अनुसार कोई कब्जा काश्त नही है और न ही विभाजन स्कीम पर स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर है जिससे यह जाहिर होता है कि हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर खेतो की नापजोख नही कि है मात्र अप्रार्थी/वादी के कहे अनुसार ही हल्का पटवारी ने विभाजन स्कीम तैयार कर पेश की है जबकि मौके पर ख. नं. 763 रकबा 0.23 हैक्टेयर बंजड़ पड़ा हुआ है जिसमे दरख्त पेड़ खडे हुए है शेष रकवा व गै.मु.चा.में प्रार्थीगण व अप्रार्थी का 1/3

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:51:15 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

हिस्सा मौखिक बटवारा अनुसार उपयोग–उपभोग काश्ते करते चले आ रहे है। इसी बिना पर निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है अप्रार्थी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए एवं हल्का पटवारी से मिलीभगत करके आनन फानन मे उक्त निर्णय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन स्कीम के मुताबिक बटवारा कर अलग से खाता कायम करवा लिया इस कारण से निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण राजस्व अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण का जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। इसलिए उक्त भूमि में प्रार्थीगण के हित निहित है एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित होने के कारण प्रार्थीगण के महत्वपूर्ण अधिकार व सांपत्तिक हित प्रभावित होगें। प्रकरण में दोनो पक्षो को विधि अनुसार सुना जाकर गुणवत्ता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण दिनांक 26/6/2022 को जब अपने खेतो पर गये तो प्रार्थीगण को देखकर अपने साथ कुछ लोगो को लेकर प्रार्थीगण के खेतो पर आ गये तथा प्रार्थीगण को वहां से चले जाने के लिए कहा, कारण पूछने पर अप्रार्थी द्वारा बताया किया उक्त खेतो के सम्बन्ध में मैने एस.डी.एम. कोर्ट गंगापुर सिटी से दावा पेश करके डिक्री ले ली है अब तुम खेतो पर न तो आओगे और न ही काश्त करोगे जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 27/6/2022 के न्यायालय मे जाकर प्रकरण के बारे जानकारी प्राप्त की, निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की तब जाकर अप्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण फर्जी कार्यवाही के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई। इस आधार पर यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद बिना किसी बिलम्ब के उचित न्याय शुल्क के साथ प्राप्त किया जा रहा है फिर भी सतर्कवश धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को न्यायहित मे कन्डोन फरमाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार जाकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15/2/2022 मुकदमा संख्या 73/2019 उनवानी बृजमोहन बनाम कुरू उर्फ राजेश वगै0 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे व प्रार्थीगण को प्ररकण मे सुनवाई का उचित अवसर देते हुये गुणवत्ता के आधार पर करण का विधिवत् निर्णय करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 15.2.2022 प्रस्तुत किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested

ला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से बाजदायरी प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्धान वकील ने अपने बाजदायरी प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने बाजदायरी प्रार्थना पत्र के अनुरूप लिखित बहस भी प्रस्तुत की है। जो पत्रावली मे संलग्न है।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्धान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि प्रतिवादीगण मूल वाद मे नियमित रूप से पैरवी करते रहे है एवं जबाब के साथ इन्होने अपना काउन्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकी कायम की गई एवं प्रकरण मे साक्ष्य ली गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.11.2021 को प्रतिवादी राजेश के बयान भी दर्ज कराये है तथा इसके पश्चात साक्ष्य हेतु कई अवसर लिये है। दिनांक 17.12.2021 को प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के वकील द्वारा प्रकरण मे पैरवी नही की गई। फलस्वरूप दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन स्कीम मंगवाई गई। विभाजन स्कीम के समय भी प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित थे परन्तु इन्होने विभाजन स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। जिसका नोट विभाजन स्कीम पर भी अंकित है।दावा विधिवत रूप से डिक्री किया गया है एवं भूमि का विभाजन किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन है जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। साथ ही मूल वाद की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे मुख्य रूप से यह आपत्ति ली है कि विभाजन स्कीम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे बनायी गई है। भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा नही है एवं विभाजन स्कीम पर स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर नही है। खस[illegible] 763 पडत पडा हुआ है। विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है [illegible] पटवारी हल्का एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा विभाजन [illegible] प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं अप्रार्थी बृजमोहन की उपस्थिति मे बनाई ग[illegible] है। जिस पर प्रार्थी/प्रतिवादी गणेश, धर्मी, राजेश ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया। इसका नोट पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपने विभाजन स्कीम मे अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स०मा०)

किया हुआ हैं। जहॉ तक ख0न0 763 का प्रश्न है प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण इस नम्बर को बंजड व पडत बताते है परन्तु विभाजन मे यह नम्बर अप्रार्थी बृजमोहन को दिया गया है। बंजड/पडत भूमि ख0न0 763 अप्रार्थी को देने पर आपत्ति तो अप्रार्थी को होनी चाहिए थी परन्तु अप्रार्थी बृजमोहन ने कोई आपत्ति प्रस्तुत ही नही की है एवं विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन स्वीकार किया है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉ आधारहीन है। फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण कुर्रू उर्फ राजेश वगैरा द्वारा प्रस्तुत यह वाजदायरी प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी. सी. आधारहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 15:51:15 IST
Reason: SelfAttested